

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

सत मुकाम
 वनाम
 मयना नं. रान्

रीस नम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जसे इस हुक्म की तारीख व जारी हुये
	<p>2 आवेदन पर इजाजत के पुस्तकी मुन्ता गया। 2 जे फेब्रुवारी नं 981 भूमि-रूपान्तरण की शर्त पर इजाजत-दस्तावेज की इजाजत के मुन्ते एवं यजमान की इजाजत के इजाजत है कि अग्रणीगण बाह्यरुस्त जायगा की नगरपालिका लाइन्स से 90वी की कार्यवाही के तहत भू-रूपान्तरण करने एवं निर्धारित शुल्क जमा गण करवाने की तैयार है। इस वस्तु ऊपर नगरपालिका लाइन्स से विधे मये आवेदन की जति भी पेश की है लेकिन इस न्यायालय की धारा 17A की कार्यवाही की वजह से भूमि-रूपान्तरण की कार्यवाही वाशियत हो रही है। ऐसी स्थिति में बाह्यरुस्त जायगा पर धारा 17A के तहत बाह्यरुस्त करने उचित तरीका नहीं होता है। अतः बाह्यरुस्त जायगा पर धारा 17A के तहत चल रहे बाह्यरुस्त/अर्पनापत्र के इस शर्त के साथ खारिज किया जाता है कि अग्रणीगण बाह्यरुस्त जायगा की नगरपालिका लाइन्स से 90वी के तहत भूमि-रूपान्तरण करना वर रूपान्तरण कालेस अविलम्ब इस न्यायालय में पेश करेंगे तथा यदि वे बिना भूमि-रूपान्तरण के भविष्य में अधिक भूमि को अधीन उपभोग करते हैं तो तत्कालीन लाइन्स नियमनुसार विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फौजदारी शुमार होकर अपने नम्बर से कम होकर दायित्व-दफतर है।</p>	<p>उपरोक्त अधिकारी बाइन: (राज.)</p>